न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 130/2022 बउनवानी अमरजीत सिंह बनाम लो.सू.अधि.एवं तहसीलदार खण्डार
पुत्र श्री श्रवण सिंह निवासी दौलतपुरा तहसील खण्डार

GCMS No-2022/206

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
11.11.2022	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही। लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार खण्डार की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने हेतु दिनांक 6.9.2022 को लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार खण्डार के कार्यालय में अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाएें उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गयाः– 1. सन् 1960 मे बने ग्राम दौलतपुरा के सिनियर सैकेण्डरी स्कूल की स्थिति किस ख0न0 मे मौजूद है 2. सन् 1980 मे बनी दुग्ध उत्पादक समिति दौलतपुरा की इमारत किस ख0न0 मे मौजूद है नक्शा ट्रेस सहित उपलब्ध करावे। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार खण्डार द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार खण्डार को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी। नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही हुआ। दौराने सुनवायी पैरोकार राजस्व ने कथन किया कि लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार खण्डार के जवाब नोटिस क्रमांक /भू.अ./2022/572 दिनांक 1.11.2022 से अवगत कराया कि अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 6.9.2022 के बिन्दु संख्या 1 लगायत 2 मे चाही गयी सूचना के संबंध में तहसीलदार खण्डार के पत्रांक/भू.अ./2022/3891 दिनांक 23.9.2022 से अपीलान्ट को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया। पैरोकार द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुॅचता हूॅ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 6.9.2022 को प्रेषित प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 1 लगायत 2 मे चाही गयी सूचना (ग्राम दौलतपुरा की सिनियर सैकेण्डरी स्कूल एवं दुग्ध उत्पादक समिति कौनसे ख0न0 मे स्थित है) के संबंध मे अपीलान्ट को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है कि उक्त स्कूल व दुग्ध उत्पादक समिति आबादी मे होने के कारण सीमाज्ञान नही किया जा सकता है तथा सीमाज्ञान नही होने के कारण उक्त दोनो भवन कौनसे ख0न0 मे स्थित है बताया जाना सम्भव नही है इसलिए नक्शा ट्रेस इत्यादि की सूचना दिया जाना सम्भव नही है। जिसके संबंध मे नियत समयावधि में अपीलान्ट को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है। इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज [illegible] शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आदेश खुले न्यायालय मे सुनवाया गया। (सुरेश कुमार ओला) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2023.03.17 17:39:12 IST
Reason: SelfAttested